00 2041

आव. क्र. 1245

मध्यप्रदेश पुलिस अग्निशमन सेवाएँ
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

कमाकः अमनि/अशसे/पुमु/ 88 /2016, भोपाल, दिनाँकः 19/04/2016
प्रति,

विशेष पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

विषय :- मान्नीय प्रधानमंत्री भारत शासन की यात्रा के दौरान अग्निरोधी टैंट ग्रीनरुम, स्टेज, हेलीपेड पर अस्थाई शौचालय एवं रिसेप्शन आदि स्थापित किये जाने के संबंध में।

—00—

हॉल ही में महू जिला इंदौर में एवं इसके कुछ समय पूर्व सीहोर में मान्नीय प्रधानमंत्री भारत शासन की यात्रा के दौरान जन सभा हेतु बनाये गये पण्डाल (डोम) ग्रीनरुम, स्टेज, हेलीपेड पर अस्थाई शौचालय एवं रिसेप्शन आदि अग्निरोधी कपडे से नहीं बनाये गये थे । जिला सीहोर में स्टेज, ग्रीनरुम, हेलीपेड पर बनाये गये अस्थायी शौचालय, रिशेप्सन आदि अग्निरोधी घोल से उपचारित कराये जाने में अनेक व्यवहारिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हुई एवं किस एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जावे इसमें भी विवाद बना रहा। अन्ततः अग्निरोधी घोल का छिड़काव किया गया लेकिन इसे उचित एवं पूर्ण रुप से प्रभावी नहीं माना जा सकता।

इसी तरह महू जिला इंदौर में भी अन्त तक यही विवाद बना रहा कि डोम को अग्निरोधी घोल से किस एजेंसी के द्वारा उपचारित किया जावे। खड़े डोम को घोल से उपचारित किया जाना एक कठिन प्रकिया है जो पूर्ण रुप से प्रभावी भी नहीं है। संभवतः मान्नीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकम बिना अग्निरोधी घोल से उपचारित पण्डाल (बाहरी परत) एवं स्टेज में ही कराया गया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

मान्नीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान कैंपिंग एवं आमसभा आयोजन हेतु पण्डाल आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन/आयोजकों की है अतः स्वाभाविक रुप से अग्निरोधी कपड़े से अथवा अग्निरोधी घोल उपचारित कपड़े से पण्डाल एवं स्टेज आदि तैयार करने की जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन/आयोजकों की है, पुलिस अग्निशमन सेवा की इस कार्यवाही में न तो कोई भूमिका है और न ही कोई जिम्मेदारी।

मान्नीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय प्रशासन अथवा आयोजकगण कार्यकम हेतु पण्डाल, स्टेज आदि अग्निरोधी कपड़े से ही बनाया जावे और यदि अग्निरोधी कपड़ा नहीं है तो पण्डाल खड़ा करने, स्टेज आदि बनाने के पहले ही उसे अग्निरोधी घोल से उपचारित किया जावे। अग्निरोधी घोल निम्न विधि से तैयार किया जा सकता है :-

1.	पानी	– 35 लीटर
2.	अमोनियम सल्फेट	– 4 केजी
3.	अमोनियम कार्बोनेट	– 4 केजी
4.	बोरेक्स	– 1 केजी
5.	बोरिक एसिड	– 1 केजी
6.	फिटकरी	– 2 केजी

इस घोल से उपचारित करने के पश्चात् ही डोम, स्टेज आदि खड़ा किया जावे।

कृपया उपोक्तानुसार राज्य शासन की ओर से समस्त जिलों के जिलाधीशों को निर्देश प्रसारित किये जाने हेतु अनुरोध है।

19/04/16
(डॉ0 विजय कुमार)
अति0 पुलिस महानिदेशक
अग्निशमन सेवाएँ, पुलिस मुख्यालय,
भोपाल

20 APR 2016

On file early